कार्यालय अग्निशमन अधिकारी इकोटेक–तृतीय ग्रेटर नौएडा

पत्र संख्याः 65 /फा0स0इकोटेक–तृतीय/2015 दिनांकः जुलाई–02 ,2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
मैसर्स पारस पब्लिक स्कूल,
ग्राम–मिल्क लच्छी ग्रेटर नोएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम–मिल्क लच्छी, ग्रेटर नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर में निर्मित स्कूल भवन का निरीक्षण कर फायर एक्सटिंग्यूशर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भः मुख्य सचिव उ0प्र0शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश दसंख्याः 1528/79-06-08 दिनांक 20-07-2009 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13-04-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलो/कालेजो में अग्नि से सुरक्षा शासनादेश संख्याः 1801/15-07-09-1/(124)/2009 दिनांक 20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण सम्बन्धी आख्याः–

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02-07-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैसर्स पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम–मिल्क लच्छी, थाना–बिसरख, ग्रेटर नोएडा स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आख्या निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

क–भवन की संरचनाः–

1–	**कुल भूखण्ड एरियाः–**	6150.00 वर्ग मीटर
2–	**भूतल कवर्ड एरिया–**	750.00 वर्ग मीटर
3–	**प्रथम तल का कवर्ड एरिया–**	500.00 वर्ग मीटर
4–	**भवन की उँचाई–**	07.00 मीटर

ख–भवन का अधिभोग–प्रश्नगत भवन का उपयोग एन0बी0सी0–2005 की स्कूल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ग–ढॉचागत व्यवस्थाः

1– **पहुँच मार्गः** प्रश्नगत स्कूल के सामने 20 मीटर रोड स्थापित है।

2– **सैटबैक–** अग्रभाग–08.00 मीटर, पृष्ट भाग–04.50 मीटर, पार्श्व भाग–03.50 मीटर व पार्श्व भाग द्वितीय–03.50 मी0

3– **निकास मार्गः** प्रश्नगत स्कूल भवन में 01 स्टेयरकेश, जिसकी चौडाई–01.50 मीटर स्थापित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः–

नेशनल बिल्डिगं कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नॉकित अग्निशमन व्यवस्थाये स्थापित है।

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः–भवन में आई.एस.कोड 2190:2010 के अनुसार 08 फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित है।

2–प्रशिक्षण–उपकरणो के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया जायें।

3–अग्नि पद्वति का अनुरक्षण–प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफलिंग नियमानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

4–एग्जिट साईनेजः–भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित है।

उपरोक्त अधिष्ठापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तो सभी कार्यशील दशा में पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल भवन को निम्न शर्तो के अधीन आख्या निर्गत की जाती है।

शान्तनु कुमार यादव
अग्निशमन अधिकारी
इकोटेक III ग्रेटर नौएडा

Scanned with OKEN Scanner

1– वर्तमान में स्कूल भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2– प्रश्नगत स्कूल में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रतिवर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगां।

3– स्कूल की ढाचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँच मार्ग, फायर स्पैप व अग्नि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

4– स्कूल में भोजन/मिड डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य भूतल पर व व निकास मार्गो से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5– प्रश्नगत स्कूल में पढने वाले 100 बच्चो को प्रत्येक माह में अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाना अतिआवश्यक है।

6– उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लघंन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(शान्तनु कुमार यादव)
अग्निशमन अधिकारी,
इकोटेक–तृतीय ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner